



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

www.centralbankofindia.co.in Build a better life around us

शाखा कार्यालय, टोंक रोड़, जयपुर 302015

फोन: 0141-2743055 ई-मेल: bmaip1478@centralbank.co.in

ई-नीलामी/विक्रय सूचना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोगों में 'जहां है जैसी है जो है जैसी है' के आधार पर निम्नलिखित संपत्तियों की नीलामी कर रहा है।

अचल संपत्तियों का विवरण

ऋणी/बंधककर्ता का नाम तथा शाखा का नाम	13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि	खता संख्या एवं आईएफएससी कोड
मैसर्स सियाराम सिटी केम्ब लि.- 15 एवं 18, चन्द्रकला कॉलोनी, सियाराम स्ट्रीट, दुर्गापुर, टोंक रोड़, जयपुर। निदेशक:- 1. श्री सतीश चन्द कट्टा पुत्र हरी नारायण कट्टा, निवासी- खवास जी का बाग, दुर्गापुर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान), 2. श्रीमती सुमन देवी कट्टा पत्नी श्री सतीश चन्द कट्टा निवासी- खवास जी का बाग, दुर्गापुर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान), 3. सुनिता शेखावत पुत्री प्रहलाद सिंह शेखावत निवासी- ए-5 नेहरू विहार, जगतपुरा, जयपुर, (राजस्थान), और जमानतदार:- 1. श्री सतीश चन्द कट्टा पुत्र श्री हरी नारायण कट्टा निवासी खवास जी का बाग, दुर्गापुर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान), 2. श्री जानकी शरण कट्टा पुत्र श्री हरी नारायण कट्टा निवासी- खवास जी का बाग, दुर्गापुर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान)	रु. 2,04,96,935.00 दिनांक 11.05.2016 से ब्याज + प्रभार	संपत्ति सं. 1:- संपत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जिसमें श्रीमती सुमन देवी कट्टा पत्नी श्री सतीश चन्द कट्टा के स्वामित्व में आवासीय संपत्ति संपत्ति प्लॉट नं. 18, खवास जी का बाग, दुर्गापुर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान) में स्थित, कुल क्षेत्रफल 201.50 वर्गमीटर, जिसकी सीमाएं- पूर्व- मोक्षधाम एवं वन विभाग की भूमि, पश्चिम- रोड़, उत्तर- रोड़, दक्षिण- प्लॉट नं. 19 संपत्ति सं. 2:- संपत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जिसमें श्री जानकी शरण कट्टा पुत्र श्री हरी नारायण कट्टा के स्वामित्व में आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 22, खवास जी का बाग, दुर्गापुर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान) में स्थित, कुल क्षेत्रफल 169.72 वर्गगज, जिसकी सीमाएं- पूर्व- मोक्षधाम एवं वन विभाग की भूमि, पश्चिम- प्लॉट नं. 24, उत्तर- प्लॉट नं. 21, दक्षिण- रास्ता।	रु. 84,50,000/- रु. 8,45,000/- रु. 10,000/- रु. 60,50,000/- रु. 6,05,000/- रु. 10,000/-	खता सं. 3054010323 IFSC Code: CBIN0281478

ई-नीलामी की नियम व शर्तें:- 1. नीलामी ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। नीलामी की दिनांक एवं समय: 21.10.2019 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक के मध्य (बन्द होने के अंतिम 5 मिनट की स्वतः समयावृद्धि वाक्यांश के साथ) ई-नीलामी 'जहां है जैसी है' वहां जो कुछ भी है' के आधार पर होगी। 2. वेब पोर्टल पर बोली तथा कागजी प्रतियां शाखा में जमा करने हेतु अंतिम दिनांक 18.10.2019 को सांय 04:00 बजे तक होगी।

3. नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विवरण प्रक्रिया की विस्तृत शर्तों हेतु वेबसाइट के जरिये जाने की सलाह दी जाती है। 4. इच्छुक बोलीदाता को अपने नाम को पॉर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर पंजीकृत कर तथा निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता ई-नीलामी हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, श्री विनोद चौहान सम्पर्क सं. 09813887931 से प्राप्त कर सकते हैं गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव हेल्पलाईन नं. +91-1244302020/21/22/23/24, Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com

5. धरोहर राशि RTGS/NEFT/Fund Transfer के जरिये दिनांक 18.10.2019 तक या उससे पूर्व निम्न दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित खाते में जमा की जायेगी। 6. बोलीदाता के द्वारा वेबपोर्टल में पंजीकरण के उपरान्त, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को वेबपोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां बोली जमा करने की अंतिम दिनांक से पूर्व अपलोड करनी आवश्यक है यथा 1. NEFT/RTGS चालान की प्रति 2. पेन कार्ड की प्रति 3. पहचान की साक्ष्य (KYC) स्वहस्ताक्षरित चोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड इत्यादी की प्रति 4. पते के साक्ष्य की प्रति जिसके बिना बोली निस्त किये जाने योग्य होगी। 7. धरोहर राशि सफलतापूर्वक/उच्चतम बोलीदाता की दशा में समायोजित कर ली जायेगी अन्यथा विक्रय समझौते के 7 दिवसों के भीतर लौटा दी जायेगी धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 8. इच्छुक बोलीदाता संपत्तियों का निरीक्षण स्थान पर दिनांक 18.10.2019 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्य संबंधित शाखा के माध्यम से कर सकते हैं। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से उपरोक्तानुसार शुरू होगी। बोलीदाता जो उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) ऑनलाईन नीलामी बन्द होने तक जमा करेगा उसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। 10. सफलतम बोलीदाता बोलीराशि का 25% (पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि को शामिल करते हुए) उसके पक्ष में विक्रय होते ही तुल्य तथा शेष राशि विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर जमा करवायेगा। यदि सफलतम बोलीदाता उपरोक्तानुसार विक्रय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा राशि जल कर ली जायेगी। 11. समस्त प्रभार किसी भी अधिकरण को बकाया, परिवहन, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीकरण के खर्च इत्यादि जो भी लागू होते हैं सफलतम बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे। 12. यदि ऋणी बैंक को कुल बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान नीलामी की दिनांक से पूर्व कर देता है तो संबंधित नीलामी रोक दी जायेगी/निस्त कर दी जायेगी। 13. बैंक नीलामी की नियम तथा शर्तों में बिना कोई कारण बताये स्थगन/वृद्ध करने का अधिकार आरक्षित रहता है। 14. संपत्ति संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया टोंक रोड़ शाखा, श्री अचल सिंह शाखा प्रबंधक मो. 9672993105, ई-मेल bmaip1478@centralbank.co.in अथवा मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव से सम्पर्क कर सकते हैं।

सर्फैसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।

दिनांक: 03.10.2019, स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया